

**डिकरी व मुकदमें इब्तदाई**  
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)  
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई  
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

**मु० उनवान गंगाराम बनाम केदानाथ वगै०**

दावा बाबत 53, 188 रा०का० अधिनियम

मुकदमा नंबर 136/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु .....- व हाजरी वारी  
मिनजानिब मुददठ व ..... मिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व  
डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी को कुर्रजात प्रस्ताव दिनांक 26.09.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रजात प्रस्ताव दिनांक 26.09.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रजात प्रस्ताव दिनांक 26.09.2024 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बेज - मुबलिय - - - - - बावत - - - - - खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व  
शरह - - - - - फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक - - - - - की अदा करें।  
दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख **08.11.2024** को जारी की गई।

मुहर

दस्ताखत

8/11/24

मुददई	रूपया	पैसा	मुददालय	मुददालय	मुददालय
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीजान			मीजान		

1. गंगाराम पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)  
- वादीगण

बनाम

1. केदारनाथ पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
2. बाबूलाल पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
3. मदनलाल पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
4. राधेश्याम पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
5. लक्ष्मनप्रसाद पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

५

8/11/24

महायक कलक्टर

नदबई तहसीलदार

# न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.  
136/2021

रजू दिनांक  
22.07.2021

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक  
08.11.2024

उनवान

1. गंगाराम पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)  
- वादीगण

बनाम

1. केदारनाथ पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
2. बाबूलाल पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
3. मदनलाल पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
4. राधेश्याम पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
5. लक्ष्मनप्रसाद पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)
6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

दावा- 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी एवं प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 08.11.2024 को श्री गंगाधर मीना सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :-

8/11/24

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद को अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरे 2281, 2284, 2461, 2479, 2487, 2491, 2608, 3326/2508, 3533/2508, 341, 342, 343, वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई में स्थित है। जिसका वादी एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 सहखातेदार हिरसे या खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि वादी व प्रतिवादी की सम्मिलित खातेदारी का रकवा है, उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा वाद पत्र मुताबिक कुरारिपोर्ट अनुसार वाद डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई।

वादी व प्रतिवादी को कुराजात प्रस्ताव दिनांक 26.09.2024 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 26.09.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के निर्णय पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 26.09.2024 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान अनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पचा डिक्री आज दिनांक 04.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बा. हस्तक्षेप एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



8/11/24  
(गंगाधर मीना R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर  
नदबई